भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2997

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत घर

†2997. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन ग्रामीण घरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिनमें बिजली कनेक्शन हैं लेकिन उन्हें बारह घंटे, आठ घंटे और चार घंटे से कम दैनिक विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा करने से पहले प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के दिशानिर्देशों में स्वीकृत 300 लाख अविद्युतीकृत घरों की अनुमानित संख्या को घटाकर डैशबोर्ड पर 248 लाख घर कर दिया था और यदि हां तो, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सौभाग्य योजना के तहत 300 लाख घरों के मूल लक्ष्य से बाहर रखे गए घरों का इस प्रकार बाहर करने के कारणों के साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सात राज्यों ने 31 मार्च 2019 तक 19.10 लाख अविद्युतीकृत घरों की सूचना दी थी और समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी और यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार शेष कार्यों के पूरा होने से पहले लगभग-सार्वभौमिक विद्युतीकरण घोषित करने को किस प्रकार न्यायसंगत ठहराती है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है जो अपने संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। इसके अलावा, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। तथापि, राज्य आयोग कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे तय कर सकता है। सूक्ष्म स्तर पर आपूर्ति के घंटों से संबंधित विवरण

का रख-रखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आपूर्ति के घंटों से संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़ा **अनुबंध-I** पर दिया गया है)।

(ख) से (ङ) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत और उसके बाद अक्टूबर, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा हो गया था। इसके बाद, वर्ष 2019 से पहले चिह्नित किए गए 23.29 लाख घर, जिन्होंने बाद में विद्युतीकरण के लिए सहमति दी, राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और इस प्रकार, राज्यों द्वारा सौभाग्य स्कीम के तहत मूल रूप से अनुमानित 300 लाख घरों के निमित्त कुल 286 लाख घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई जिसमें समानांतर में चल रही राज्य स्कीमों के तहत विद्युतीकृत घर भी शामिल हैं।

भारत सरकार की दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वर्ष 2021 में शुरू की गई तथा वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, राज्यों द्वारा सर्वेक्षण के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी); डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत जनजातीय परिवार; प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना (पीएम-एजेएवाई) के तहत अनुसूचित जाति (एससी); तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों सहित, जहां भी यह व्यवहार्य पाया गया, 6,521 करोड़ रुपये की लागत से 13.65 लाख घरों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, गुजरात, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य स्कीम के तहत घरेलू विद्युतीकरण कार्य शुरू किए। (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर है)।

लो.स.अतारा.प्र.सं. 2997

अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण इलाकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे (घंटा:मिनट में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	औसत घंटे
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	**
2	आंध्र प्रदेश	23:51
3	अरुणाचल प्रदेश	23:05
4	असम	23:14
5	बिहार	23:24
6	चंडीगढ़	*
7	छत्तीसगढ़	23:24
8	दादरा एवं नगर हवेली	23:39
9	दिल्ली	*
10	गोवा	**
11	गुजरात	23:54
12	हरियाणा	22:40
13	हिमाचल प्रदेश	23:40
14	जम्मू और कश्मीर	20:23
15	झारखंड	21:27
16	कर्नाटक	23:27
17	केरल	23:48
18	लद्दाख	21:45
19	मध्य प्रदेश	22:50
20	महाराष्ट्र	21:52
21	मणिपुर	23:05
22	मेघालय	23:34
23	मिजोरम	19:59
24	नागालैंड	19:53
25	ओडिशा	23:57
26	पुदुचेरी	23:55
27	पंजाब	23:16
28	राजस्थान	21:11
29	सिक्किम	22:53
30	तमिलनाडु	24:00
31	तेलंगाना	24:00
32	त्रिपुरा	23:11
33	उत्तर प्रदेश	21:47
34	उत्तराखंड	23:28
35	पश्चिम बंगाल	23:50
	राष्ट्रीय औसत	22:36

*ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं **डेटा उपलब्ध नहीं

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2997

अनुबंध-II

सौभाग्य अवधि के दौरान विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

* सौभाग्य स्कीम के तहत गैर-वित्तपोषित

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2997

अनुबंध-III

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये)	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये)	कुल संस्वीकृत घर	सर्वेक्षण के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले घरों	विद्युतीकृत घर
क.	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर**						
1	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	8.73	15,475	15,475	15,320
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	11.55	6,506	6,506	241
3	असम	785.55	706.99	195.15	127,111	133,284	41,635
4	बिहार	239.14	143.49	39.18	35,467	35,467	352
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	0.00	34,078	34,078	16,515
6	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	18.70	15,359	15,359	0
7	झारखंड	25.16	15.09	0.00	4,853	4,853	804
8	केरल	0.33	0.20	0.00	40	40	11
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	0.18	196	196	121
10	मणिपुर	214.44	193.00	0.00	36,972	36,972	0
11	मेघालय	435.70	392.13	106.25	50,501	50,501	0
12	मिजोरम	79.90	71.91	0.00	15,167	15,167	1,751
13	नागालैंड	69.55	62.59	17.09	10,004	10,004	20
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	165.58	338,702	289,033	95,106
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	122.17	251,487	251,487	42,385
	कुल (क)	**4,678.47**	**3,328.77**	**684.58**	**941,918**	**898,422**	**214,261**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**						
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0.54	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1.65	1,683	1,683	0
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1.07	1,154	1,154	0
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**3.26**	**2,837**	**2,837**	**0**
ग.	**पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**						
ग1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत पीवीटीजी घर**						
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	27.61	24,967	24,925	24,925
2	छत्तीसगढ	38.16	22.90	11.28	7,077	7,349	7,349
3	झारखंड	74.13	44.48	22.54	12,442	11,504	11,504
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1.11	1,615	1,546	1,546
5	केरल	0.86	0.52	0.23	345	345	314
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	51.66	30,216	28,396	28,396
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	7.87	8,556	9,216	9,216
8	राजस्थान	40.34	24.20	11.92	17,633	16,023	16,023
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8.83	8,603	7,814	7,384
10	तेलंगाना	6.79	4.07	2.07	3,884	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	43.86	11,664	11,692	11,692
12	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	0.21	316	195	195

13	उत्तराखंड	0.60	0.54	0.49	669	669	669
	उप योग (ग1)	**521.31**	**331.41**	**189.69**	**127,987**	**123,558**	**123,097**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल पीवीटीजी घर**						
1	गुजरात	0	0	0	0	6,626	6,626
2	ओडिशा	0	0	0	0	5,738	5,721
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	3,372	3,372
	उप योग (ग2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,736**	**15,719**
ग3	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत सार्वजनिक स्थल**						
1	मध्य प्रदेश	0	0	-	25	21	21
	उप योग (ग3)	**0**	**0**		**25**	**21**	**21**
	कुल (ग=ग1+ग2+ग3)	**521.45**	**331.49**	**189.69**	**128,012**	**139,315**	**138,837**
घ.	**डीए-जेजीयूए के तहत चिह्नित जनजातीय घरों का विद्युतीकरण**						
घ1	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत डीए-जेजीयूए घर**						
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	5.86	4,921	5,302	5,208
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	3.37	1,938	1,938	1,866
3	बिहार	61.40	36.84	16.76	7,117	7,117	1,635
4	छत्तीसगढ	218.44	131.06	0.00	39,579	39,579	25,135
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	0.00	93	93	21
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	9.90	13,824	13,824	0
7	झारखंड	92.44	55.47	0.00	19,467	19,467	0
8	कर्नाटक	41.00	24.60	9.03	5,288	5,288	1,714
9	केरल	5.73	3.44	1.74	1,080	1,080	295
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.40	89.38	59,172	59,172	32,373
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6.97	6,961	5,228	5,228
12	राजस्थान	197.11	118.26	37.66	82,842	82,842	19,762
13	तेलंगाना	110.73	66.44	33.58	26,525	26,525	23,748
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	17.61	7,677	7,677	7,635
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	4.91	6,867	6,867	274
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	0.00	207	207	165
	उप योग (घ1)	**1,247.50**	**790.52**	**236.76**	**283,558**	**282,206**	**125,059**
घ2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल डीए-जेजीयूए घर**						
1	ओडिशा	0	0	-	0	36,335	0
	उप योग (घ2)	**0**	**0**		**0**	**36,335**	**0**
घ3	**आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान**						
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	-	182	182	130
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	-	9	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	-	7	7	3
4	झारखंड	8.25	4.95	-	1,910	1,910	0
5	केरल	0.15	0.09	-	17	17	0
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	-	650	650	251
7	राजस्थान	0.70	0.42	-	195	195	0
8	तेलंगाना	2.90	1.74	-	672	8,208	7,940
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	-	512	512	349
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	-	30	30	7
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	-	19	19	4

	उप योग (घ3)	**18.63**	**11.92**		**4,203**	**11,739**	**8,693**
घ4	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान**						
1	ओडिशा	0	0	0	0	548	0
	उप योग (घ4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**548**	**0**
	कुल (घ=घ1+घ2+घ3+घ4)	**1,266.13**	**802.44**	**236.76**	**287,761**	**330,828**	**133,752**
ङ.	**पीएम-अजय के तहत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**						
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	0.96	811	811	437
2	झारखंड	6.141	3.684	0.000	1,782	1,782	0
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	0.000	6	6	3
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	1.860	2,012	2,012	437
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**2.82**	**4,611**	**4,611**	**877**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,521.85**	**4,507.98**	**1,117.11**	**1,365,139**	**1,376,013**	**487,727**

** मौजूदा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और कवर किए गए घरों के लिए उपलब्ध वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए संस्वीकृत कार्य*

** डीए-जेजीयूए के तहत पीएलएस में तेलंगाना विद्युतीकरण की प्रगति में आंगन वाडी केंद्र (एडब्ल्यूसी) शामिल हैं*

स्रोत: एमसी मिनट, आरडीएसएस पोर्टल, आरईसी/पीएफसी
